लेकिन यह आवश्यक है कि हम अपने देश में अपनी राष्ट्रीय भाषाओं को अपनायें। हमारे जो लोग विदेशों में जाते हैं, वे इंगलिश में बात करते हैं, जब कि वहां के लोग अपनी-अपनी भाषाओं में। जब हमारे लोग रशा में जाते हैं, तो वहा के लोग तो रशन में बात करते हैं, लेकिन हमारे लोग इंगलिश में बात करते हैं। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को प्रचलित करने की योजना पर जल्दी अमल करना चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, कोठारी आयोग और संसद्-सदस्यों की शिक्षा सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में विस्तार के विचार किया गया है। इन दोनों प्रतिवेदनों के द्वारा इस सदन का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित हो गया है कि केन्द्रीय सरकार शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित करने जा रही है।

जहा तक अंग्रेजी की हिमायत का प्रश्न है, सभापति महोदय, आप मुझे इन शब्दों को कहने की इजाजत दें कि जो थोड़े से व्यक्ति अंग्रेजी की हिमायत करने में बहुत प्रयत्नशील थे, अंग्रेजो के इस देश से जाते समय उन के मन में ऐसी ही तिलमिलाहट थी, जैसी कि आज कुछ लोगो के मन में अंग्रेजी को जाते देख कर हो रही है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

17.29 Hrs

*MINING OPERATIONS IN JHARIA

श्री बेणीशंकर शर्मा (बांका) . सभापति महोदय, आज मै जिस विषय की चर्चा उठाना चाहता हूं, उस का सम्बन्ध बिहार के खान-क्षेत्र के एक बड़े शहर, झरिया, और वहां के पचास, साठ हजार लोगों के जानो-माल से है। बात यह है कि झरिया शहर के चारों ओर कोयले की खानें हैं। आप यह भी जानते हैं कि बिहार, और बंगाल का यह क्षेत्र कोयले की खानों से भरा हुआ है और झरिया के चारों ओर और कई अन्य स्थानों में कोयले की खानों में खुदाई हो रही है। आप यह भी जानते हैं कि झरिया शहर से एक फ़रलांग की दूरी पर, उस के दोनों ओर, बरसों से आग लगी हुई है। इस सम्बन्ध में नियुक्त एक एन्क्वायरी कमीशन ने कहा था कि अगर इस आग को न बुझाया गया और आसपास के क्षेत्रों की खुदाई को न रोका गया, तो जानो माल की क्षति के अलावा समूचे शहर को खतरा भी पैदा हो सकता है।

आज दो कम्पनियां ऐसी है जिनकी झरिया के पास में खानें थी और वहा का कोयला खत्म हो जाने पर झरिया शहर के नीचे वे खुदाई का काम कर रही हैं। पता नही हमारे चीफ इंस्पैक्टर आफ माइन्स ने किस प्रकार उन्हें शहर के बीच कोयला निकालने की अनुमति दी है। लोगों की धारणा है कि इस अनुमति के अन्दर बहुत सी बातें हैं नहीं तो वह इतने लोगों के जन-जीवन से खिलवाड़ नही करते। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाती है और यह कहा जाता है कि कानून के मुताबिक खानो के खम्भों की नीचे छोड़े जाने वाली जितनी लम्बाई चौड़ाई होनी चाहिए उतनी उस में छोड़ी जा रही है। 100 फुट ×100 फुट सौ फुट के खम्भे छोड़े जा रहे हैं। लेकिन हम जानते है कि किस प्रकार हमारे यहा कानून का पालन होता है। हम देखते हैं कि कलकत्ते बम्बई और दिल्ली सरीखे शहरो में जहां रात्रि में बिजली का प्रकाश सूर्य के प्रकाश को भी मात करने वाला होता है, किस प्रकार से अन्डर हैण्ड डीलिंग्स चलती हैं फिर जहां अन्डर ग्राउन्ड काम होता हो वहाँ अन्डरहैंड डिलिंग चले तो उस में कोई आश्चर्य की बात नही। लोगों को शक है कि खान के कुछ आफिसरों की मिली जुली भगत से खान वालों को जो

*Half-An-Hour Discussion.

[श्री शिवशंकर शर्मा]
अनुमति दी गई है वह अन्यायपूर्ण है जिस से सम्पूर्ण शहर का जनजीवन खतरे में है ।

अध्यक्ष महोदय, आज अवस्था यह है कि दिन के कोलाहल में तो किसी को नहीं पता चलता लेकिन रात्रि में जब लोग अपने-अपने घरों में सोते हैं तो नीचे से जमीन में धड़ाके, बम की तरह के धड़ाके की आवाज आती है । सोते हुए बच्चे जाग उठते हैं । रोगी अपने बिछौने से उठ खड़े होते हैं । खिड़कियों के शीशे टूटने लगते हैं । बहुत से मकानों में तो दरारें भी पड़ गई हैं और कई जगह जमीन भी धस गई है । झरिया शहर से केवल एक चौथाई मील की दूरी पर बनियाहीर नामक स्थान पर जो झरिया-पाथरडीह रोड पर पड़ता है सड़क का एक हिस्सा कुछ महीने पहले धस गया था । उसी तरह दूसरी ओर झरिया से आधे मील की दूरी पर कुस्तौर के पास भी पब्लिक रोड धस गई है ।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी अवस्था में अगर वहां के नागरिक अधिकारियों से इस तरह का निवेदन करें कि आप कम से कम शहर से नीचे की खानों का काम बन्द कर दें तो मैं समझता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है । उन की प्रार्थना जायज है और अधिकारियों को उस को मान लेना चाहिये था । मैं इस विषय में और विशेष न कह कर बिहार और बंगाल के समाचार पत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, उनके संवाददाताओं ने जो समाचार भेजे हैं, लेटर्स टु दी एडीटर कालम में जो लोगों के पत्र प्रकाशित हुए और पत्रों में उस विषय में सम्पादकीय निकले हैं उन में से केवल तीन का उद्धरण आप के सामने रखना चाहता हूं । पहला उद्धरण बिहार के प्रसिद्ध समाचारपत्र सर्च लाइट के 22 मार्च के संस्करण से है जिस में वहां के संवाददाता ने

"Repeated Explosions in Jharia Town."

नामक शीर्षक में लिखा है कि

" During the night violent explosions and bursting sounds are heard in the heart of the town of Jharia Sleeping babies are awakened, housewives are frightened, glass panes get cracked and patients get nervous. This has made the citizens panicky...."

फिर आगे चल कर वह संवाददाता लिखता है :

'. . .Their lives and property are also endangered by this act of the colliery *in collusion with the Mining Department* ."

आगे फिर लिखा है ·

"Jharia town, which has acquired a geographical importance is of the oldest existence in the coal-field and is a very important meeting-place of various trades and industries and men connected with the mining trade "

यही समाचार इसी आशय का बिहार के दूसरे प्रसिद्ध पत्र इंडियन नेशन में 21-3-67 को निकला है – पार्टस आफ झरिया टाउन मे सिंक । यह क्योंकि वही समाचार है इसलिए मैं उस को न पढ़ कर इंडियन नेशन में ही एक इंजीनियर का पत्र प्रकाशित हुआ है उसकी दो चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं । जनार्दन साही माईनिंग इंजीनियर रह चुके हैं । वे

'Threat to Jharia Town"

नामक शीर्षक के अन्तर्गत लिखते हैं —

"Sir,

Being a mining expert, I take keen interest in your publication of the *sensational news under the caption*, 'Parts of Jharia Town May Sink I wonder how Mr G. S Jabbi Chief Inspector of Mines, appears to be optimistic about the underground workings when the areas consisting of Plot No 238, etc are steadily going down from north-southern side actually involving the very vital question of precious lives and properties of so many residents in part of the Jharia town itself "

फिर इसी विषय पर बिहार के प्रसिद्ध पत्र सर्च लाइट ने जो अपना सम्पादकीय दिया है वह कम महत्वपूर्ण नहीं है । उसका सम्पादकीय

झरिया इस वैधिक के अंतर्गत है। उसमें उन्होंने कहा है :

"It is not surprising that the people of Jharia, Bihar's most important coal city, are having nightmarish time with the constant threat of subsidence. In view of the underground explosions causing vibrations in Jharia people's homes, the scare is quite natural. It is possible that underground explosions do not presage any immediate danger to the town. But there is need to reassure the residents."

फिर आगे चल कर पत्र कहता है

"It is amazing that the Mining Inspectorate of the Government of India is showing utter callousness in the matter. Why is it hesitating to make an authoritative statement on the issue? The mining operations right under the Jharia town could not have been possible without express permission from the Mining Inspectorate."

अध्यक्ष महोदय, ये तीन तरह के उद्धरण मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इसके अलावा लोगों ने अधिकारियों के भी दरवाजे बराबर खटखटाये। उन लोगों ने चीफ माइनिंग इसपेक्टर को भी पत्र लिखा लेकिन किसी का उत्तर नहीं दिया गया। कुछ लोग अंत में कोर्ट की शरण में भी गए और धनबाद के फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मिस्टर के० रहमान ने *अपने फैसले में लिखा :*

"The complainant, a resident of the Jharia town, has brought allegations that some of the adjoining collieries, namely," (so and so) "are conducting unauthorised mining operations below ground."

"The allegations appear to be serious enough and it is absolutely necessary that an urgent and thorough probe is held in the matter to ensure safety, if necessary, as also to dispel misgivings, if any, from the minds of the residents regarding any impending catastrophe.

This complaint which appears to have been signed by 31 other persons cannot, in my opinion, be taken lightly as it discloses specific allegations of underground explosions beneath Jharia town and their approaching danger from the same."

अध्यक्ष महोदय, इस झरिया टाउन के नीचे खानों में काम करने से कितना खतरा है, तथा लोगों को खतरे की कितनी बड़ी आशंका है वह जो मैंने अभी उद्धरण दिए हैं जो मैंने मैजिस्ट्रेट के आर्डर से उद्धरण दिए उनसे यह साफ जाहिर होता है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी रिस्क सरकार क्यों ले रही है, इतनी जहमत सरकार मोल क्यों ले रही है ? क्या कोयले के बदले वहां हीरे की खानें हैं ? क्या समूचे बिहार और बंगाल के कोल फील्ड्स का सारा कोयला समाप्त हो गया कि बिना शहर के नीचे के कोयले को निकाले उसकी पूर्ति नहीं हो सकती ? क्या हमारी रेलें बन्द हो जायेंगी ? या हमारी चिमनियों से धुआं निकलना बन्द हो जायगा ? मेरी समझ में नहीं आता आखिर शहर के नीचे उन खानों से कितना कोयला निकलेगा ? अभी भी अरबों टन कोयला हमारी कोल फील्ड्स में भरा पड़ा है। फिर इस थोड़े से कोयले के लिये इतने लोगों की जान माल को खतरे में क्यों डाला जा रहा है। फिर यदि खतरा न भी हो तो लोगों को आशंका तो है ही। लोग रात को सो नहीं सकते हैं। परमात्मा न करे कल भूकम्प हो जाय तो आप जानते हैं *जहां जमीन पोली होती है वहां सबसे अधिक* नुकसान होता है। मैंने जैसा पहले कहा झरिया के दोनों तरफ आग लगी हुई है और आप यह भी जानते हैं एक्सपर्टस का यह मत है कि जहां सालिड जमीन रहती है वहां नीचे आग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जहां जमीन पोली हो जाती है वहां आग जल्दी से आगे बढ़ सकती है। यह दूसरा खतरा है। अभी बंगाल की आग शांत नहीं हुई है। वह बड़वानल जारी है और उसके साथ-साथ यदि दस बीस या 50 गज की दूरी से खान के भीतर से कोयला निकाल लिया जाय और

[श्री बेणीशंकर शर्मा]

जमीन पोली हो जाय तो खतरे की आशंका और भी बढ़ जाती है । ऐसी अवस्था में वहां के लोगों ने अधिकारियों से यह आश्वासन मांगा कि कम से कम झरिया शहर के नीचे का काम बन्द कर दें लेकिन ऐसा कोई आश्वासन उन्होंने नही दिया और जैसा कि मैंने कहा है उन लोगों ने अपने जवाब में यही बतलाया कि 100 बाई 100 फिट के पिलर्स छोड़ते जा रहे हैं और इस तरह का गलियारा निकालते है, इतनी जगह छोड़ते हैं, लेकिन इन सब बातों की गारंटी क्या है ?

एक्सपर्टस् की ओपीनियन का हाल भी हम देख ही रहे हैं । अभी हाल में हल्दिया-बरौनी लाइन की चर्चा इसी सदन मे हुई थी, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार हमने अमरीकन एक्सपर्टस् से ओपीनियन लिया और फिर बाद मे हमको उस पाइप-लाइन को वहां से हटा कर दूसरी जगह ले जाना पड़ा, उसमें हमारे 18-20 करोड़ रुपये का बलिदान हो गया, स्वाहा हो गया । यद्यपि वह रुपयों का सवाल था, लेकिन यहां पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, उसमे केवल रुपयों का सवाल नही है, उसमें 60-70 हजार लोगों के जीवन का सवाल भी है । कितनी क्षति होगी यह कहना मुश्किल है । आज झरिया शहर में आठ-दस तल्ले के मकान बन रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, टनो माल लेकर सैकड़ों मोटर-लारियां चलती रहती हैं, ऐसी अवस्था मे अगर शहर के नीचे का कोई स्थान पोला हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि शहर की जानोमाल को कितना बड़ा खतरा है ।

सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा हो सकता है कि टैकनीकल दृष्टि से शायद यह खतरा न हो, लेकिन लोगों क मन मे शक तो है ही । ऐसी स्थिति मे सरकार का यह कर्तव्य है कि लोगों को वह आश्वस्त करे, उनको आश्वासन दे । लोगों ने बार बार इस बात की प्रार्थना की है कि कम से कम सरकार उन्हे इस बात की गारन्टी दे कि अगर उन्हें कुछ हो जाय, चाहे किसी एक्सपर्ट की भूल से, चीफ इंस्पैक्टर आफ माइन्स उसके जिम्मेदार हों या डिप्टी इंस्पैक्टर हो या सब चीफ हो, न जाने कितने अधिकारी हैं, आज की अवस्था में हम चाहे जितनी ईमानदारी से काम करें, लेकिन हम यह नहीं मान सकते हैं कि ऐसी गलती न हों, ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि क्यों इतना बड़ा खतरा मोल लिया जा रहा है । इसलिये मै माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें, आखिर वहां से कितना कोयला निकलेगा ।

एक सवाल और उठ सकता है । इस सम्बन्ध मे एक पत्र पहले मैंने माइनिंग मिनिस्टर को लिखा था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि यह प्रश्न मेरे मातहत नही आता है, यह लेबर मिनिस्ट्री का सवाल है । मैंने सोचा कि चूंकि लेबर मिनिस्टर का काम वहां की लेबर की देखभाल करना है । वहा पर दो-तीन हजार मजदूर तो काम करते ही होंगे । अगर खान बन्द हो जाती है तो वे क्या करेंगे । उनकी यह चिन्ता स्वाभाविक है, अगर उनकी चिन्ता ऐसी है, तो मैं उन्हे धन्यवाद देता हूं । कम से कम वे मजदूरों के लिये सोचते तो हैं । लेकिन क्या उन मजदूरों को वही काम मिल सकता है और दूसरी जगह काम नही मिल सकता । आज झरिया के अलावा बंगाल और बिहार की खानों मे करोड़ों-अरबों टन कोयला भरा पड़ा है, वहां के मजदूर दूसरी जगह ले जाये जा सकते है, वहां के खान-मालिकों को दूसरी खानें दी जा सकती हैं ।

मैं बड़े अदब से माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि वहा पर कोयला खुदवा कर वे झरिया के लोगों की कबर खोदने का काम उन मजदूरों से करवा रहे हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम वे इस झरिया शहर के नीचे की खानों की खुदाई का काम फौरन बन्द करायें और अगर वह यह समझते है कि इससे उन खानों का कोयला नहीं निकलेगा, क्योंकि उनमें से हीरे निकल रहे हैं, तो कम

से कम यह आश्वासन दें कि किसी अधिकारी की भूल से अगर किसी को भी कुछ क्षति हुई तो जितने वहां इंस्पैक्टर आफ माइन्स में काम करनेवाले कर्मचारी हैं, उनको फांसी दे देंगे। क्योंकि जब तक इतना बड़ा भय नहीं होगा, तब तक यह चीज रुक नहीं सकती, 100 बाई 100 फुट के खम्बे 80 बाई 80 फुट के हो गये हैं और अगर यह चीज जारी रही हो तो 50 बाई 50 के भी हो जायेंगे और खुदा-न-खास्ता कल को कोई भूकम्प आ गया या और कोई बात हो गई तो समूचा शहर धंस जायगा। वहां के लाखों लोगों की जानें समाप्त हो जायेंगी, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो जायगी। इस लिये मैं आपके द्वारा अपने मिनिस्टर साहब से फिर प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी जिद को छोड़ कर लोगों की आशाओं को पूरा करें।

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : I welcome this opportunity of explaining the position in Jharia and I also appreciate very much the anxiety of the hon. member. It is very natural that if the full facts are not known, and if such things are heard people should feel that the houses will fall down, damage to property will be done etc. I very much appreciate this kind of anxiety in the minds of the people and their representative, the hon member here

I wish very much that proper publicity and education had been given to the people who have this apprehension It has been done to an extent, but I will take this opportunity to explain that the position is not at all such as should create panic

We must, in the first instance take out from our minds the idea that there is any collusion. If that is the background, then any explanation will not be convincing.

SHRI BENI SHANKAR SHARMA It has been so expressed by the papers

SHRI HATHI : The papers may say anything, but let us first start on a clean slate, and then examine it. If there is anything fishy about it, about the licence or the lease, we shall examine that. I give that assurance, so that we can judge the whole position.

What the people feel is that everything is being done below the surface of the town, and as the earth down below becomes hollow, since it is being dug out, there is bound to be apprehension in the minds of the people.

SHRI SHIV CHANDIKA PRASAD (Jamshedpur) . It has been filled by sand

SHRI HATHI . There is no question of sand. I will explain If that had been so, I would certainly have said so. The impression, as the hon. member said, is that the coal is dug out and then sand is put in That may not be enough support

In the first place, we should understand that below the surface of Jharia town it is not actually excavation for coal that is being done A passage is being dug to go to the other end of the town where the mines are When they make only a gallery, a passage which is 10'×12', there are blocks left as the hon. member rightly said 100'×100' like to say that all that you have said is 100'×100', then there is a 10' gap, then there is another block left 100'×100' or so

SHRI BENI SHANKAR SHARMA: What happens if they are reduced to 60 by 60 ?

SHRI HATHI I am coming to the point, and whatever apprehensions you have, I will try to remove them I do not want to shut out any argument or any logical apprehensions which you have My duty is to see to it, as you have rightly said, and give the people an assurance by proper explanation that this is the correct position, and therefore there is no difficulty. I would not like to say that all that you have said is imaginary. No; I will not say that the hon. Member has been misled by the press reports. That should not be my argument. My argument will be that the apprehensions in the mind of the people are genuine unless we have

[Shri Hathi]

explained to them the position as it exists.

As I said, this one piller is 100' by 100': there is only a passage of 10' It is a big pillar then, and it is of 100' by 100'. Like that there are pillars on both sides, all supporting. How much below the surface is this? It is 200 feet below; this gallery of the development work is not being done at a distance of 10 to 50 or 60 feet but it is at a depth of 200 feet with blocks of coal of 100' by 100'. Then, there is a small passage which is meant to enable you to go to the other end of the seam. I am perfectly in agreement with you when you ask, if this 100' is reduced to 50', who is responsible We have issued orders that a senior officer must go and examine every work, so that there is no mistake or error or any mischief on the part of anybody. That is one thing

Then the second thing is the blasting by night They were formerly having three blastings at a time. We have said or may not, but the frequency of the shots is such that even if it is slight, it that since this is after all a thing which may cause panic or some fear—it may somebody hears it he may feel disturbed—it may be hereafter one shot and not three. And there are now 70 shots in a month as against thirty-six a day that is, about 1,000 formerly This is not a new thing. The hon Member knows that this is going on for the last 25 to 30 years It is not a new thing There are five such mines whose galleries have been drawn below, and three have been completed and nothing has happened for the last 25 to 30 years It is not again the same or only one place, but in other parts also where townships are there, in Ramganj coalfields, these things happen, and this is happening throughout the coal-fields But we have been careful enough to see that these dimensions of the pillars are not reduced. Otherwise, what happens is, as the hon. Member pointed out, first they have pillars, and then from the pillars they again draw coal and as they go on drawing coal, the pillar becomes thinner and thinner, and then they put on either sandbags or iron support in the place of the coal. In this, we have said very clearly that no cool shall be extracted from these pillars, nothing of the sort. That is a clear instruction and it is being checked that nothing is drawn. So, this is the only passage or development work from the whole surface, and hardly 15 to 20 per cent will be dug. That is only for the purpose of passage. The pillars will remain 100 by 100'; then a space of 10 feet and again 100' by 100'. I can give you the assurance that no coal will be allowed to be extracted from these pillars.

SHRI BENI SHANKAR SHARMA . We know our business-men very well.

SHRI HATHI : You have rightly said that businessmen are there, but it is the duty of the highest officer to satisfy himself that this is not done. I can give this assurance that no permission has been given and it will not be given to thin the pillars by taking coal from it So far as the blasting is concerned, we have said there should be only one shot and not three at a time I am also thinking—I just discussed it with my officers—whether it would be possible to examine whether there could be no blasting by night, because during the day it does not make such a big noise We have not done this blasting for coal. It is permitted only where there are geological disturbances and instead of coal, there is hard rock. These are the various steps we have taken. I assure the hon. member that we shall take every care to see that apart from safety of the people and property, there is no inconvenience caused to them.

So far as employment is concerned, I would like that no body should be retrenched or unemployed. But I have to look at it in comparison with the damage to the life and property of the people in the area. I cannot give employment to workers at the cost of others

SHRI BENI SHANKER SHARMA: Apart from payment of full compensation for loss of life and property, will he see that the officials who are found guilty are punished?

SHRI HATHI : We shall carefully examine it and if there is any mistake on the part of any officials, I shall punish them

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) I had given a question.

MR. CHAIRMAN : That was not in time According to the amended rule, it must be given before the sitting. You had given it at 12.30. I am sorry.

18 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, November 21, 1967 *Kartika* 30, 1889 (*Saka*)

L80LSS/67—1010—17-2-68—GIPF.